अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 14/2024 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

श्रीमती वीना खण्डेलवाल पत्नी स्व॰ श्री राकेश खण्डेलवाल जाति महाजन, निवासी ए–8, प्रेम नगर, एस.डी. अग्रवाल की गली, खातीपुरा रोड, झोटवाडा जयपुर, पुलिस थाना झोटवाडा, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व॰ श्री जगदीश नारायण जाति महाजन निवासी ए–8, प्रेम नगर, एस.डी. अग्रवाल की गली, खातीपुरा रोड, झोटवाडा जयपुर, पुलिस थाना झोटवाडा, जयपुर। हाल निवासी डी–10, पत्रकार कालोनी, प्रेम नगर, झोटवाडा, जयपुर ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 06.02.2023. माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण के प्रकरण संख्या 53/2022 ब उनवानी श्रीमती गीता देवी बनाम बीना खण्डेलवाल व अन्य

उपस्थितः–

1. अपीलार्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 29.10.2024

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण के प्रकरण संख्या 53/2022 ब उनवानी श्रीमती गीता देवी बनाम बीना खण्डेलवाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2023 से व्यथित हो कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बैंच जयपुर के सिविल रिट पीटीशन नम्बर 13078/2023 में पारित आदेश दिनांक 14.03.2024 की पालना में यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि धारा 4 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिक जिसके अन्तर्गत माता पिता भी सम्मलित है जो अपने स्वयं के अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पत्ति से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है। उक्त परिस्थितियों में प्रत्यर्थी धारा 4 के अन्तर्गत अपीलार्थिया से किसी प्रकार के भरण की राशि की मांग नही कर सकती है, क्योंकि धारा 2 (क) के अनुसार बालक के अन्तर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पोत्री सम्मलित है, परन्तु प्रत्यर्थी ने अपीलार्थिया से जो कि पुत्रवधु है, के विरूद्व प्रकरण प्रस्तुत कर भरण पोषण चाहा है जो कानूनन दिये जाने योग्य नहीं है। इसलिए अपीलार्थिया की अपील स्वीकार कर आदेश दिनांक 06.02.2023 अपास्त किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी का एक पुत्र रोशन खण्डेलवाल जीवित है तथा जानबूझ कर प्रत्यर्थी द्वारा अपने उक्त पुत्र को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। क्योंकि उसके द्वारा उक्त प्रकरण अपीलार्थिया को हैरान व परेशान करने के उद्वेश्य से प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थिया के द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी पी सी, धारा 9 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम नियम 2010 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था जिसे भी अधीनस्थ अधिकरण द्वारा कानून की विवेचना किये बिना ही खारिज फरमा दिया गया। जबकि उपरोक्त प्रकरण में अपीलार्थिया के विरूद्व कार्यवाही किये जाने का एक्ट मे प्रावधान ही नहीं है, परन्तु फिर भी अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया के विरूद्व निर्णय दिनांक 06.02.2023 पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थिया का दिनांक 03.08.2018 को सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगिता परीक्षा 2015 में विधवा कोटे से चयन हुआ है जिसके लिए अपीलार्थिया ने परीक्षा पास की है, उसे कोई अनुकम्पा नियुक्ति नहीं मिली है इसलिए प्रत्यर्थी, अपीलार्थिया से किसी भी रूप में कोई भरण पोषण राशि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अपीलार्थिया पटवारी के पद पर जोबनेर में कार्यरत है तथा अपीलार्थिया का मासिक वेतन लगभ 28000/–रूपये है जिसमें अपीलार्थिया स्वयं के घर से जोबनेर आना जाना करती है जिसमें अपीलार्थिया के लगभग 4000/–रूपये खर्च हो जाते है तथा अपीलार्थिया जोबनेर से फिल्ड वर्क के लिए प्रतापपुरा, माछरखानी एवं जोरपुरा जाती है जिसमें अपीलार्थिया के लगभग 2000/–रूपये खर्च हो जाते है तथा अपीलार्थिया, प्रत्यर्थी के घर का खर्च भी स्वयं चलाती है। क्योंकि उसके दोनो बच्चे अभी पढाई कर रहे है। अपीलार्थिया के घर का बिजली, पानी एवं राशन सब मिला कर लगभग 10,000/–रूपये खर्च हो जाते है। अपीलार्थिया की पुत्री एल.एल.बी. तथा एम.ए. की पढाई कर रही है, इसके अलावा अपीलार्थिया की पुत्री श्रुति खण्डेलवाल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर रही है जिसमें प्रतिमाह लगभग 5,000/ रूपये खर्च हो जाते है। अपीलार्थिया ने अपने पुत्र आकाश खण्डेलवाल के नाम से लोन ले रखा है जिसकी किश्त लगभग 10,000/–रूपये के आस पास आती है वह भी अपीलार्थिया के द्वारा ही वहन किया जाता है। अपीलार्थिया द्वारा अपीलार्थिया के स्वामित्व के मकान पर वित्तीय सुविधा प्राप्त की गई थी, जिसका लोन भी अपीलार्थिया व उसके पुत्र के द्वारा चुकाने में परेशानी हो रही है। लोन की राशि अभी बकाया है, जिस वजह से फाईनेन्स कम्पनी से पूर्व में निलामी की सूचना भी दी गई थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थिया की आर्थिक

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

स्थिति सही नहीं है जितना वह मासिक वेतन के तौर पर कमा रही है उससे ज्यादा उसका खर्चा है। अपीलार्थिया को आये दिन अपने पीहर से वित्तीय सहायता मांगनी पडती है, वह भी अपीलार्थिया के लिए किसी सदमें से कम नहीं है । क्योंकि अपीलार्थिया एक इनडिपेन्डेन्ट कार्यरत महिला है। प्रत्यर्थी के द्वारा खण्डेवाल समाज से विधवा एवं वरिष्ठ नागरिक के सन्दर्भ में पेन्शन प्राप्त की जा रही है जिसका कथन प्रत्यर्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया है। प्रत्यर्थी द्वारा राजस्थान सरकार से भी पेशन प्राप्त की जा रही है जिसका वर्णन भी प्रत्यर्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया है। प्रत्यर्थी के पास स्वयं के स्वामित्व की जमीन, मकान एवं दुकान गांव में स्थित है जिसका लगभग 15,000/–रूपये किराया प्रत्यर्थी के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। अधिनियम की धारा 5, 7 व 23 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनिनय 2007 के अन्तर्गत कोई भी प्रार्थना पत्र केवल मात्र बेटा, बेटी, पोता एवं पोत्री के विरूद्व ही पोषणीय है। यहां यह उल्लेखित करना आवश्यक है कि प्रत्यर्थी द्वारा जानबूझ कर अपने जीवित पुत्र रोशन खण्डेलवाल के विरूद्व भरण पोषण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अपीलार्थी को केवल मात्र हैरान व परेशान करने के उद्वेश्य से प्रार्थना पत्र व प्रस्तुत किया गया है। तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बैंच जयपुर सिविल रिट पीटीशन नम्बर 71786/2015 आदेश दिनांक 15.11.2017 अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.02.2023 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

5. प्रत्यर्थिया के प्रतिनिधि ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अपीलार्थिया, प्रत्यर्थिया की पुत्रवधु है । पुत्र राकेश खण्डेवाल का देहान्त हो गया है। अपीलार्थिया का विधवा कोटे से पटवारी के पद पर चयन हुआ है। अधिनियम में अधिकतम 10,000/–रूपये प्रतिमाह बतौर भरण पोषण दिये जाने के प्रावधान है। प्रत्यर्थी के पुत्र का देहान्त हो जाने से अपीलार्थिया प्रत्यर्थी की पुत्रवधु होने एवं प्रत्यर्थिया की सम्पत्ति की हकदार होने के नाते भरण पोषण दिये जाने की अधिकारी है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा समस्त तथ्यों पर गौर फरमा कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे ।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

7. अपीलार्थिया ने प्रत्यर्थी द्वारा मामले में अपने दूसरे पुत्र रोशन खण्डेलवाल जो वयस्क है, उसे पक्षकार नहीं बनाने एवं न ही उससे कोई भरण पोषण राशि की मांग किये जाने का कथन किया है। अधिनियम की धारा 4 (1) के अनुसार माता–पिता या दादा दादी की दशा में अपने संतानों में से एक या अधिक के विरूद्व, जो अवयस्क नही है, से भरण पोषण राशि की मांग कर सकते है। इसलिए अपीलार्थी का यह कथन मान्य नहीं है। अपीलार्थिया ने "बालक" की परिभाषा में नहीं आने का कथन कर अपीलार्थिया के विरूद्व अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.02.2023 से निर्धारित की गई भरण पोषण राशि 4000/–के आदेश को अपास्त किये जाने का अनुतोष चाहा है। अधिनियम की धारा

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2 (क) में "बालक" की परिभाषा दी गई है—जिसमें पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री सम्मिलित है। चूंकि प्रत्यर्थी के पुत्र राकेश खण्डेलवाल का स्वर्गवास हो चुका है और अपीलार्थिया, प्रत्यर्थी की पुत्रवधु है और विधवा कोटे से पटवारी की नौकरी प्राप्त की है, जहां से उसे पर्याप्त वेतन मिलता है। धारा 4 (4) के परन्तुक के अनुसार जहां एक से अधिक नातेदार वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति को विरासत में प्राप्त करने के हकदार है वह भरण पोषण ऐसे नातेदारों द्वारा उस अनुपात में संदेय होगा जिसमें वे उसकी सम्पत्ति को विरासत में प्राप्त करेंगे। इसलिए अपीलार्थिया की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर लागू नहीं होते है। चूंकि अपीलार्थिया प्रत्यर्थी की पुत्रवधु है । पुत्र के देहान्त के पश्चात पुत्रवधु जिसने विधवा कोटे से नौकरी प्राप्त की है, उसके द्वारा भी अपनी सास को भरण पोषण राशि दिये जाने का दायित्व है। इसी को मध्य नजर रखते हुये अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को उसकी वृद्ध सास को बतौर भरण पोषण राशि 4000/—रूपये दिये जाने का आदेश पारित किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

8. अधीनस्थ अधिकरण के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2023 की पुष्टि की जाती है। आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता—पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. आदेश आज दिनांक 29.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर